न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 40 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भूराराम पुत्र हिन्दुराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी जैरूपोणियो का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. पदमाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 45 वर्ष

2. गिरधारीराम पुत्र जीयाराम उम्र 80 वर्ष
3. गोकलाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40 व
4. चिमनाराम पुत्र जीयाराम उम्र 65 वर्ष
5. भीखीदेवी पत्नि हुकमाराम उम्र 40वर्ष
6. भोमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 20 वर्ष
7. माडूदेवी पत्नि पुनमाराम उम्र 70 वर्ष
8. भूराराम पुत्र जालाराम उम्र 85 वर्ष
9. वगताराम पुत्र जालाराम उम्र 80 वर्ष
10. मेहाराम दतक पुत्र भीयाराम
11. सुखाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 80 वर्ष
12. हड़मानराम पुत्र शेराराम उम्र 60 वर्ष
13. खेराजराम पुत्र लिखमाराम
14. चौनाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 60 वर्ष
15. डालूराम पुत्र लिखमाराम उम्र 55 वर्ष
16. रेखाराम पुत्र राजूराम उम्र 50 वर्ष
17. खेताराम पुत्र लिखमाराम उम्र 80 वर्ष
18. पारूदेवी पत्नि वेहनाराम उम्र 55 वर्ष
19. भैराराम पुत्र लिखमाराम उम्र 50 वर्ष
20. मानाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 55 वर्ष
21. रामाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 35 वर्ष
22. रावताराम पुत्र वेहनाराम उम्र 40 वर्ष
23. वनाराम पुत्र दलाराम उम्र 60 वर्ष
24. सकाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 55 वर्ष
25. चेनाराम पुत्र साजनराम उम्र 55 वर्ष
26. धीराराम कोहलाराम उम्र 65 वर्ष
27. मोटाराम पुत्र सोनाराम उम्र 80 वर्ष
28. गंगाराम पुत्र राजूराम उम्र 80 वर्ष
29. खेताराम पुत्र गोरधनराम उम्र 50 वर्ष
30. मालाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 45 वर्ष
31. वीरमाराम पुत्र रामाराम उम्र 35 वर्ष
32. हुकमाराम पुत्र रामाराम उम्र 38 वर्ष
33. सोनाराम पुत्र रामाराम उम्र 40 वर्ष
34. हेमाराम पुत्र रामाराम उम्र 42 वर्ष
35. धापूदेवी पत्नि रामाराम उम्र 75 वर्ष
जातियान जाट निवासी जैरूपोणियो का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।
36. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

बैंक शाखा होडू
37 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया शाखा सिणधरी
38 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के संढा संढ आडे हुऐ है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं संढो की माटों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारन प्रार्थी द्वारा मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावें जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जैरूपाणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 371 रकबा 8.7129 हैक्टेयर, खसरा संख्या 720 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/1 रकबा 4.2634 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी